

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग राज. जयपुर

क्रमांक :एफ-4()/लेखा रोकड़/आयकर/2025-26/
समस्त अधिकारी/कर्मचारी,
निरीक्षण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक :-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 (कर निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए आयकर का परिकलन।

आयकर नियमों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक आयकर की कटौती की जानी है। संलग्न आयकर गणना प्रपत्र (Form of Income tax Calculation) दिनांक 18.11.2025 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र में Old Tax Regime अथवा New Tax Regime का विकल्प चयन कर स्वयं के हस्ताक्षर सहित भरकर भिजवायें। कार्मिक द्वारा आयकर गणना प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी आयकर की गणना नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के अनुसार कर आयकर की कटौती की जायेगी। जिसमें केवल Standard Deduction की छूट दी जायेगी तथा जो कार्मिक पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनते हैं, वे कार्मिक LIC, PPF, House Rent, Rebate of Housing Loan Interest, Tuition Fee आदि की रसीद/प्रमाण पत्र आयकर गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से आयकर की निम्नांकित दो स्लेब लागू

है :-

(A) पुरानी दर :-

क्र.सं.	कुल आय राशि	पुरानी दर
1	रुपये 250000 तक	शून्य
2	250001 से 500000 तक	5%
3	500001 से 1000000 तक	20%
4	1000000 से अधिक	30%

(B) नई दर :-

क्र.सं.	कुल आय राशि	नई दर
1	400000 तक	शून्य
2	400001 से 800000 तक	5%
3	800001 से 1200000 तक	10%
4	1200001 से 1600000 तक	15%
5	1600001 से 2000000 तक	20%
6	2000000 से 2400000 तक	25%
7	2400000 से अधिक	30%

संलग्न :- आयकर गणना प्रपत्र

—Sd—
(मोहन लाल पाटनी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक :एफ-4()/लेखा रोकड़/आयकर/2025-26/24816 दिनांक :- 11.11.25

1. सूचना सहायक, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

नई (वैकल्पिक) कर दरों के अनुसार
आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2025-2026 (निर्धारण वर्ष 2026-2027)

नई कर दरों के अनुसार

नाम कार्मिक: NAME		पदनाम: DESIGNATION		पैन:		
1	नाम कार्मिक:					₹ 0.00
2	आय: वर्ष-2025-26 में प्राप्त कुल वेतन					₹ 75000.00
3	घटाईये: स्टेपडेट डिडक्शन धारा 16(ia) के अन्तर्गत अधिकतम ₹ 75,000/-					₹ 0.00
4						₹ 0.00
5	(अ) गृह सम्पत्ति से आय (1) स्वयं के उपयोग में - शून्य	(2) प्राप्त किराया		₹ 0.00		
	(ब) घटाईये	किराये का 30 प्रतिशत	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 5(ब)	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		शेष - 5(अ) एवं योग 5(ब) का				₹ 0.00
		कुल शेष (4 एवं 5)				₹ 0.00
6		₹ 0				₹ 0.00
7	अन्य आय: 1 वचन खाते पर ब्याज	₹ 0	2 एफ डी पर ब्याज व अन्य आय		₹ 0.00	
8	सकल आय	योग (6 एवं 7)				₹ 0.00
9	कर योग्य आय					₹ 0.00
10	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288I					
11	आयकर की गणना उपरोक्त का - तम 10 के आधार पर					₹ 0
	Up to ₹4,00,000	NIL		₹ 0		
	₹4,00,001 - ₹8,00,000	5%		₹ 0		
	₹8,00,001 - ₹12,00,000	10%		₹ 0		
	₹12,00,001 - ₹16,00,000	15%		₹ 0		
	₹16,00,001 - ₹20,00,000	20%		₹ 0		
	₹20,00,001 - ₹24,00,000	25%		₹ 0		
	Above ₹24,00,001	30%		₹ 0		
	(1) योग आयकर					₹ 0.00
	(2) छूट धारा 87(A) अधिकतम ₹. 60000 तक					₹ 0.00
	(3) शेष आयकर (1-2)					₹ 0.00
	(4) चिकित्सा एवं शिक्षा उपकर (आयकर पर 4 प्रतिशत)					₹ 0.00
	कुल आयकर (3 व 4 का योग)					₹ 0.00
12	घटाईये :- राहत धारा 89 के तहत					₹ 0.00
13	कुल शेष आयकर					₹ 0.00
14	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2025 तक	दिसम्बर 2025 तक	जनवरी 2026 तक	फरवरी 2026 तक	निर्धारित वेतन के अतिरिक्त कर कटौती / जमा कर
		0	0	0	0	₹ 0.00
		वकाया आयकर (TAX PAYABLE)				₹ 0.00

हस्ताक्षर कार्मिक

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2025-2026 (निर्धारण वर्ष 2026-2027)

1	नाम कार्मिक:-	NAME	पदनाम:-	0	पैन:-	0	पुरानी कर दत्ते के अनुसार
2	आय.वर्ष-2025-26 में प्राप्त कुल वेतन						
3	गृह किराया, धारा 10(13-ए) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है।						रु.- 0.00
4							रु.- 0.00
5	घटाईये: स्टैम्पड डिडेंक्शन धारा 16(ia) के अन्तर्गत अधिकतम रु 50,000/-						रु.- 0.00
6							रु.- 50000.00
7	(अ) गृह संपत्ति से आय (1) स्वयं के उपयोग में - शून्य		(2) प्राप्त किराया				रु.- 0.00
	(ब) घटाईये	किराये का 30 प्रतिशत	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
8							रु.- 0.00
9	अन्य आय:-	1 बचत खाते पर ब्याज	रु.- 0	2 एफ डी पर ब्याज व अन्य आय	रु.- 0		रु.- 0.00
10	सकल आय	योग (8 एवं 9)					रु.- 0.00
11	घटाईये कटौतियाँ :- धारा 80 सी, 80 सीसीसी, 80 सीसीडी के अन्तर्गत						रु.- 0.00
	(अ) अधिकतम सीमा 1,50,000 (धारा 80CCE), (धारा 80CCD(2), 80CCD(1B) के अतिरिक्त						
1	राज्य बीमा	रु.- 0.00	11	नवीन पेंशन योजना में अंशदान अधिकतम वेतन का 10 प्रतिशत	रु.- 0.00		
2	जीवन बीमा प्रीमियम	रु.- 0.00	12	पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)	रु.- 0.00		
3	राष्ट्रीय बचत पत्र	रु.- 0.00	13	राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज	रु.- 0.00		
4	लोक भविष्य निधि	रु.- 0.00	14	ट्यूशन फीस	रु.- 0.00		
5	राष्ट्रीय बचत स्कीम	रु.- 0.00	15	इंकिटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.- 0.00		
6	सामान्य प्रावधानी निधि	रु.- 0.00	16	स्थगित वार्षिकी	रु.- 0.00		
7	सामूहिक बीमा प्रीमियम	रु.- 0.00	17	पी.एल.आई.	रु.- 0.00		
8	यू.एल.आई. पी./वार्षिक प्लान	रु.- 0.00	18	अन्य जमा राशि	रु.- 0.00		
9	गृह ऋण किस्त	रु.- 0.00		योग 1 से 18 तक	रु.- 0.00		
10	सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु.- 0.00					
							रु.- 0.00
	(ब) धारा 80CCD(2) नियोजता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10 प्रतिशत) पृथक से छूट						रु.- 0.00
	(स) धारा 80CCD(1B) नवीन पेंशन योजना में अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)						रु.- 0.00
							रु.- 0.00
12	अन्य कटौतियाँ						रु.- 0.00
	1. धारा 80 D चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं, पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000, सीनियर सिटीजन रु 50000)						रु.- 0.00
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)						रु.- 0.00
	3. धारा 80DDb विशेष रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)						रु.- 0.00
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज						रु.- 0.00
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)						रु.- 0.00
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125,000)						रु.- 0.00
	7. धारा 80TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000						रु.- 0.00
	8. धारा 80 ITB वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50000 रु.						रु.- 0.00
	9. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान						रु.- 0.00
							रु.- 0.00
13	कुल कटौती (11 व 12 का योग)						रु.- 0.00
14	कर योग्य आय (10-13)						रु.- 0.00
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288।						रु.- 0.00
16	आयकर की गणना उपरोक्त काँलम 15 के आधार पर						रु.- 0.00
	2,50,000 रुपये तक	NIL					रु.- 0.00
	2,50,000 से 5,00,000 तक	5%					रु.- 0.00
	5,00,000 से 10,00,000 तक	20%					रु.- 0.00
	10,00,000 से अधिक	30%					रु.- 0.00
	(1) योग आयकर						रु.- 0.00
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)						रु.- 0.00
	(3) शेष आयकर (1-2)						रु.- 0.00
	(4) चिकित्सा एवं शिक्षा उपकर (आयकर पर 4 प्रतिशत)						रु.- 0.00
	कुल आयकर (3 व 4 का योग)						रु.- 0.00
17	घटाईये :- राहत धारा 89 के तहत						रु.- 0.00
18	कुल शेष आयकर						रु.- 0.00
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2025 तक	दिसम्बर 2025 तक	जनवरी 2026 तक	फरवरी 2026 तक	नियमित वेतन के अतिरिक्त कर कटौती / जमा कर	कुल कर की कटौती
		0	0	0	0	0	रु.- 0.00
							रु.- 0.00

वकाया आयकर (TAX PAYABLE) रु.- 0.00

हस्ताक्षर कार्मिक

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर